

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2016/भाद्र 8, 1938

No. 600]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2016/BHADRA 8, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 834(अ).—केंद्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रासायनिक आयुध अभिसमय (प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए मानदंड) नियम, 2014 में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रासायनिक आयुध अभिसमय नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिभाषाएं -

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (i) "अधिनियम" से रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) अभिप्रेत है;
- (ii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित रासायनिक आयुध अभिसमय राष्ट्रीय प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (iii) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (iv) “संबंधित अभिकरण” से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से वित्तपोषित कोई स्वायत्त संगठन, बोर्ड, पब्लिक सैक्टर उपक्रम, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठन या कोई संगम, चाहे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा हो, जिसने अभिसमय या अधिनियम और उनके कार्यान्वयन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त की है या प्राप्त करने के लिए हकदार है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है;
- (v) “संबंधित विदेशी अभिकरण” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित कोई विश्वविद्यालय या कोई अनुसंधान संगठन है, जो अभिसमय से संबंधित किसी विषय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित है, परंतु इसके अंतर्गत संगठन नहीं है ;
- (vi) “घोषणीय सुविधा” से अभिसमय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उसे घोषणा करने के लिए दायी बनाने के लिए पर्याप्त मात्राओं की या तो कोई अनुसूचित रासायनिक सुविधा या कोई डीओसी सुविधा अभिप्रेत है;
- (vii) “निदेशक” से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का निदेशक अभिप्रेत है;
- (viii) “डीओसी सुविधा” से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो किसी पृथक कार्बनिक रासायनिक के उत्पादन में लगी हुई हो जिसके अंतर्गत फासफोरस, सल्फर या फ्ल्यूरीन के तत्वों से अंतर्विष्ट पृथक कार्बनिक रासायनिक है;
- (ix) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (x) “अनुसूचित रासायनिक सुविधा” से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो अभिसमय के रासायनिकों पर परिशिष्ट में अनुसूची 1 से 3 में, किसी में भी सूचीबद्ध किसी विषैले रासायनिक या पूर्वगामी के उत्पादन, प्रसंस्करण, अर्जन, उपभोग, अंतरण, आयात, निर्यात या उपयोग में लगी हुई हो;
- (xi) किसी संघराज्यक्षेत्र के संबंध में “राज्य सरकार” से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;
- (xii) “संचालन समिति” से अधिनियम की धारा 11 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और पद जो परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

### (3) प्राधिकरण का अध्यक्ष –

1) केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास रसायन विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग, पर्यावरण, लोक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विधि या प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है, किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगी :

परंतु कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण न किया हो ।

2) प्राधिकरण का अध्यक्ष तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा : परंतु कोई व्यक्ति जिसकी साठ वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

3) अध्यक्ष की पंक्ति भारत सरकार के सचिव के समतुल्य होगी और उसके बराबर वेतन, भत्तों और परिलब्धियों का हकदार होगा ।

**4) अध्यक्ष को हटाया जाना या पद त्याग –**

(1) अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार को लिखित में कम से कम एक मास का नोटिस देते हुए अपने पद को त्याग सकेगा।

(2) केंद्रीय सरकार अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकेगी यदि उसे -

(क) दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) किसी अपराध, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वर्तित है, के लिए दोषसिद्ध किया गया है या

(ग) वह शारीरिक व मानसिक रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो ; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ड.) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो जिसके कारण उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(3) उप नियम (2) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को उसके पद से उस उपधारा के खंड (घ) और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट आधारों पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार ने कोई जांच न कराई हो और ऐसी जांच के आधार पर इस निष्कर्ष पर न पहुंची हो कि अध्यक्ष को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए

(4) केंद्रीय सरकार अध्यक्ष को, जिसके संबंध में उपनियम (3) के अधीन किसी जांच का आदेश दिया गया है, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, उसके पद से निलंबित कर सकेगी।

**5. अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें –**

अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तों के संबंध में मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को निर्देशित किए जाएंगे और उन पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

**6. प्राधिकरण के निदेशक –**

(1) केंद्रीय सरकार, ऐसे व्यक्तियों, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों की सेवा में है, में से एक निदेशक नियुक्त करेगी :

परंतु कोई व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद धारण न करता हो या उसने तीन वर्ष से अन्यून के लिए भारत सरकार के निदेशक या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण न किया हो।

(2) प्राधिकरण के निदेशकों की संख्या ऐसी होगी, जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(3) प्राधिकरण के निदेशक का पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य होगा।

(4) निदेशक की पदावधि ऐसी होगी जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए :

परंतु कोई व्यक्ति निदेशक का पद पांच वर्ष से अधिक धारण नहीं कर सकेगा।

(5) निदेशक अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों को करने में अध्यक्ष की सहायता करेगा।

(6) निदेशकों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई सुस्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित किए जाएंगे और उन पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

**7. प्राधिकरण के अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद --**

(1) केंद्रीय सरकार उतने तकनीकी अधिकारी और समर्थक कर्मचारीवृंद नियुक्त करेगी, जितने केंद्रीय सरकार समय-समय पर प्राधिकरण के परामर्श से अवधारित करें।

(2) प्राइज़ द्वारा मंजूर किए गए पदों की संख्या के अनुसार प्राधिकरण के प्रशासन और अन्य समर्थक कर्मचारीवृंद केंद्रीय सरकार के विभिन्न काडरों से लिए जाएंगे।

**8. प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति** – केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारियों या प्राधिकरण में राजपत्रित पद धारण करने वाले अधिकारियों को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी :

परंतु ऐसे अधिकारी के पास सरकारी सेवा में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव और किसी भी शिक्षा शाखा में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है।

(2) प्राधिकरण के अन्य कृत्य –

I घोषणाएं प्रस्तुत करना –

- (1) प्राधिकरण को, संगठन को, अभिसमय के अधीन यथाबाध्यकारी, विभिन्न घोषणाएं प्रस्तुत करने के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति या अभिकरण से अधिनियम से संबंधित जानकारी, जिसके पास उसकी राय में ऐसी जानकारी है, से कोई जानकारी मंगवाने की शक्ति होगी।
- (2) प्राधिकरण, संगठन को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 90 दिन पश्चात् 'पूर्व क्रियाकलापों की वार्षिक घोषणाएं (ए डी पी ए)' प्रस्तुत करेगा।
- (3) सभी घोषणीय सुविधाएं अपनी वैयक्तिक घोषणाएं इस प्रकार प्रस्तुत करेंगी ताकि प्राधिकरण के पास आने वाले वर्ष की 15 फरवरी को या पहले या किसी अन्य तारीख को जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, पहुंचे।
- (4) प्राधिकरण, संगठन को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 120 दिन से अपश्चात् 'पूर्ववर्ती कलेंडर वर्ष के लिए रासायनिक आयुध के विरुद्ध संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर सूचनाओं की वार्षिक रिपोर्टिंग' प्रस्तुत करेगा।
- (5) सभी संबंधित अभिकरण इस प्रकार सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे ताकि प्राधिकरण के पास वर्ष के फरवरी मास के अंतिम दिन या पूर्व या किसी अन्य तारीख, जो प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर नियत की जाए, को पहुंचे।
- (6) प्राधिकरण, संगठन को 'प्रत्याशित क्रियाकलापों की वार्षिक घोषणाएं (ए डी एए)', अनुसूची 1 वर्ग से संबंधित अनुसूचित रासायनिक सुविधाओं की दशा में आगामी कलेंडर वर्ष प्रारंभ होने से 90 दिन पूर्व और अनुसूची 2 और अनुसूची 3 वर्गों से संबंधित अनुसूचित रासायनिक सुविधाओं की दशा में आगामी कलेंडर वर्ष के प्रारंभ होने से 60 दिन अपश्चात् प्रस्तुत करेगा।
- (7) अनुसूची 1 वर्ग से संबंधित सभी घोषणीय सुविधाएं और अनुसूची 2 और 3 वर्गों से संबंधित सभी घोषणीय सुविधाएं अपनी-अपनी वैयक्तिक घोषणाएं इस प्रकार प्रस्तुत करेंगी ताकि प्राधिकरण के पास क्रमशः 15 सितंबर और 10 अक्टूबर को या पूर्व या ऐसी अन्य तारीखों को पहुंचे, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।
- (8) प्राधिकरण द्वारा इस नियम के अधीन संगठन को घोषणाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र संगठन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएंगे।
- (9) विभिन्न प्रकार की घोषणीय सुविधाएं प्राधिकरण को अतिरिक्त सूचना निम्नलिखित प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :-

(i) प्ररूप 2.0 – अनुसूची 2 सुविधा के लिए

- (ii) प्ररूप 3.0 – अनुसूची 3 सुविधा के लिए
  - (iii) प्ररूप 4.0 – अन्य रासायनिक उत्पादन सुविधा के लिए
  - (iv) प्ररूप 5.0 - अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के आयातकर्ता/निर्यातकर्ता के लिए
- (10) उपनियम (9) के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप में कोई परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा अपनी सरकारी वैबसाइट में अधिसूचित किया जाएगा।
- (11) प्राधिकरण घोषणाओं को इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने, प्रसंस्करण करने और पारेषित करने का प्रयास करेगा और चरणबद्ध रीति में घोषणाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटीकरण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- (12) संबंधित अभिकरण, भारत में उपद्रव नियंत्रण अभिकरणों के रूप में उपयोग हेतु जब कभी रासायनिकों में कोई परिवर्तन हो, तो प्राधिकरण को 20 दिन से अपश्चात्, प्रस्तुत करेगा।

## II निरीक्षण

(1) देश में रासायनिक सुविधाओं के निरीक्षण अभिसमय के उपबंधों के अनुसार और संगठन द्वारा निरीक्षण टीम को दिए गए आदेश के अनुसार संचालित करना प्राधिकरण का साधारण कर्तव्य होगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाएगा जिसके अंतर्गत –

(क) संगठन से निरीक्षण की सूचना की प्राप्ति को तत्काल अभिस्वीकृत करना ;

(ख) निरीक्षण की जाने वाली रासायनिक सुविधा को निरीक्षण की तारीख अवधि, प्रयोजन और विस्तार के साथ-साथ सुविधा के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में सूचित करना ;

(ग) जिला प्रशासन और संबंधित राज्य सरकार को स्थानीय समर्थन और सुविधा के लिए सूचित करना ;

(घ) प्रत्येक निरीक्षण के लिए अनुरक्षक अधिकारी प्रतिनियुक्त करना ;

(ड.) टीम लीडर को निरीक्षित राज्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में पदाभिहित करना; और

(च) कोई अन्य कार्यवाही, जो उसकी राय में निरीक्षण को अभिसमय के अनुसार संचालित करने के लिए अपेक्षित हो;

(3) उप नियम (2) के खंड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्त अनुरक्षक अधिकारी निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) प्रवेश स्थल पर निरीक्षण टीम का स्वागत करना और भारत के राज्यक्षेत्र, में निरीक्षण टीम के साथ उसके ठहराव के दौरान साथ रहना, जिसके अंतर्गत निर्गमन स्थल से उनके प्रस्थान तक सभी संभार और ठहराव व्यवस्था करना है ;

(ख) निरीक्षण क्रियाकलापों के साथ अग्रसर होने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कर्मचारियों के साथ संपर्क करना ;

(ग) सभी प्रक्रमों पर निरीक्षण टीम की सहायता करना जिसके अंतर्गत निरीक्षण-पूर्व विवरण, भौतिक निरीक्षण, स्थल दौरा, अभिलेखों का पुनर्विलोकन और प्राथमिक निष्कर्ष रिपोर्ट लिखना है;

(4) उपनियम (2) के खंड (ड.) के अधीन पदाभिहित टीम नेता निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) निरीक्षित सुविधा और निरीक्षण टीम के मध्य पारस्परिक क्रिया समन्वित करना ;

(ख) निरीक्षण के दौरान निरीक्षित सुविधा को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में सलाह देना ;

(ग) निरीक्षण टीम अपेक्षित दस्तावेजों या स्पष्टीकरणों को देने के लिए निरीक्षित सुविधा की सहायता करना ;

(घ) निरीक्षित राज्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करना; और

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि निरीक्षण, निरीक्षित सुविधा के लिए असम्यक रूप से अंतर्वेधी नहीं बनता है।

(5) निरीक्षण टीम को भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए केवल नई दिल्ली, जिसे प्रवेश और निर्गमन का एक मात्र बिंदु के रूप में पदाभिहित किया जाएगा, के माध्यम से अनुज्ञात किया जाएगा। बशर्ते कि प्राधिकरण केवल केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से प्रवेश या निर्गमन के किसी बिंदु को परिवर्तित या परिवर्धित करेगा।

(6) प्राधिकरण किसी भवन या स्थान, जो उसकी राय में, अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों के विपरीत कोई क्रियाकलाप चला रहा हो, का निरीक्षण कर सकेगा।

(7) प्राधिकरण, प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को किसी निरीक्षण के दौरान देश में अवधि के लिए देश में अनुरक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(8) सभी संबंधित अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि निरीक्षण टीम के सदस्य उन सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को प्राप्त करते हैं जिसके वे अभिसमय के अधीन हकदार हैं। बशर्ते हैं कि प्राधिकरण जब कभी इन उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के उल्लंघनों पर संबंधित अधिकरण द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जाती है तब प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के ध्यान में लाएगा।

### III प्रशिक्षण –

- (1) प्राधिकरण संगठन और अभिसमय से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं के साथ संचालित या समन्वित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने कर्मचारियों और अन्य भारतीय नागरिकों की सहभागिता को सुकर बनाने के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।
- (2) प्राधिकरण संगठन के प्रशिक्षण कलेंडर को प्रकाशित कर सकेगा, पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित कर सकेगा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपयुक्तता और अभ्यर्थी की योग्यता पर आधारित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के लिए चयन कर सकेगा।
- (3) प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों का डाटा बेस रखेगा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और भविष्य में उपयोग के लिए रिपोर्टों को रखेगा।

### (iv) शिक्षा और पहुंच –

- (1) सभी संबंधित अभिकरणों, अन्य पणधारियों और आम जनता के मध्य अभिसमय और अधिनियम के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।
- (2) प्राधिकरण, अभिसमय और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बैठकें, कार्याशालाएं, सेमीनार, सम्मेलन आयोजित और संचालित कर सकेगा।
- (3) प्राधिकरण, अभिसमय या अधिनियम से संसक्त किसी विषय पर इंटरनेशिप या अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित और वित्तपोषित कर सकेगा।

### (v) प्रकीर्ण कृत्य और शक्तियां –

- (1) अधिनियम की धारा 11 के अधीन संचालन समिति द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाओं और सहायता प्रदान करने का प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।

- (2) प्राधिकरण, वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मुख्य क्रियाकलाप और घटनाएं अंतर्विष्ट होंगी, तैयार करेगा और संचालन समिति को प्रस्तुत करेगा।
- (3) प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि संचालन समिति की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार आयोजित की जाए।
- (4) जब ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो प्राधिकरण भारत में या विश्व में कहीं भी अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित किसी मामले पर विनिश्चय लेने के लिए केंद्रीय सरकार को निवेश और राय देगा।
- (5) प्राधिकरण, वार्षिक घोषणाओं की क्वालिटी में सुधार करते हुए, भारत में रासायनिक सुविधाओं के आंतरिक निरीक्षण करते हुए, संगठन निरीक्षणों की दक्षता का सरलीकरण करते हुए और उसमें वृद्धि करते हुए अनुसूचित रासायनिकों के आयात और निर्यात की मॉनीटरिंग करते हुए, अधिनियम से संबंधित सूचना के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के उपयोग को बढ़ाते हुए, प्रक्रिया के सरलीकरण और मानकीकरण के लिए समुचित कदम उठाते हुए अधिनियम के उपबंधों के बेहतर पालन हेतु सभी संबंधित अभिकरणों के साथ समन्वय करेगा।
- (6) प्राधिकरण, संगठन को, यथाशीघ्र अभिसमय से संबंधित किन्हीं परियोजनाओं के लिए भारत में किसी व्यक्ति को पहुंच प्रदान करने में केंद्रीय सरकार के, आक्षेप, यदि कोई हो, संसूचित करेगा।
- (7) प्राधिकरण, किसी संबंधित अभिकरण को प्रक्रिया में शिथलीकरण या दस्तोवेजों के अधित्यजन की सिफारिश कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसी कार्रवाई अभिसमय या अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक या संभाव्य है।
- (8) केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को ऐसे अन्य कृत्य समनुदेशित कर सकेगा।
- (9) प्राधिकरण, अधिनियम के अधीन अपने कारबार का संचालन करने के लिए अपनी प्रक्रिया विनिश्चित करेगा।
- (10) प्राधिकरण, संबंधित अभिकरणों से प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अपनी किसी बैठक में भाग लेने के लिए किसी बाह्य व्यक्तियों को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

उपाबंध

प्ररूप 2.0

[नियम 9(9) देखें]

अनुसूची 2 सुविधाओं की घोषणा

कृपया प्रत्येक संयंत्र स्थल के लिए एक प्ररूप पूरा करें  
संयंत्र स्थल कोड :

1. संयंत्र स्थल का नाम (सुविधा) :.....  
.....
  2. संयंत्र स्थल की अवस्थिति और पता :  
  
 स्थान/गली.....  
 गांव/नगर/शहर.....  
 तहसील/ताल्लुक/डाकघर.....  
 जिला.....  
 राज्य.....पिन .....
- अक्षांश और देशांतर .....
- (यदि ज्ञात हो)
- दूरभाष सं..... फैक्स नं..... मोबाइल नं.....  
 ई-मेल पता..... वैब साइट .....
3. स्वामी/उद्यम/कंपनी/संगठन का नाम .....
- .....
- मुख्य /रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता .....
- .....पिन.....
- दूरभाष सं..... फैक्स नं..... मोबाइल नं.....  
 ई-मेल पता..... वैब साइट .....
4. संपर्क व्यक्तियों के नाम, उनके कार्यालय को भी निवास/मोबाइल दूरभाष सं.  
 (i) .....
  - (ii) .....
5. पत्राचार पता: संयंत्र स्थल ..... या कंपनी .....
- (जो लागू हो उसे टिक कर दें)
6. संगठन का प्रकार:  
 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी .....पब्लिक लिमिटेड कंपनी .....
- केंद्रीय सरकार उपक्रम ..... राज्य सरकार उपक्रम ..... अन्य
7. संयंत्र स्थल के क्रियाकलाप (जो लागू हो उसे टिक कर दें)  
 उत्पादक ..... प्रसंस्करणकर्ता ..... उपभोक्ता.....  
 निर्माता निर्यातकर्ता ..... निर्माता आयातकर्ता.....
8. यदि फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है? हां .... नहीं .....
- यदि हां तो निम्नलिखित दें  
 फैक्ट्री अनुज्ञप्ति सं. और तारीख .....
- आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड (आई ई सी कोड) .....



9. निर्मित उत्पाद  
 (i)  
 (ii)  
 (iii)  
 (iv)  
 (v)

10. आयात/निर्यात के रासायनिक

आयात

निर्यात

(i)

(i)

(ii)

(ii)

(iii)

(iii)

(iv)

(iv)

(v)

(v)

11. संयंत्र स्थल द्वारा उत्पादित, प्रसंस्कृत उपभोग के अनुसूचित रासायनिक (सभी रासायनिकों की सूची)

क्रम सं.	रासायनिक (आईयूपीएसी नाम, सामान्य या व्यवसायिक नाम)	सी ए एस रजिस्ट्री सं.	अनुसूची और अनुसूची में प्रविष्टि सं.	क्रियाकलाप का प्रकार (जो लागू हों, उसे टिक करें)				
				उत्पादन	प्रसंस्करण	उपभोग	निर्यात	आयात
(i)								
(ii)								
(iii)								
(iv)								
(v)								

12. (i) संयंत्र स्थल पर अनुसूची 3 संयंत्रों की संख्या -  
 (ii) संयंत्र स्थल पर अनुसूची 2 संयंत्रों की संख्या -

13. (क) क्या संयंत्र स्थल ने तीन पूर्ववर्ती वर्षों में से किसी के दौरान अनुसूची 2 रासायनिक की किसी मात्रा का उत्पादन, प्रसंस्करण या उपभोग किया है या उत्तरवर्ती वर्ष में उत्पादन, प्रसंस्करण या उपभोग करना प्रत्याशित है, जो :

हां ... नहीं.....

- (i) किसी अनुसूची 2क\* रासायनिक के दस किलोग्राम से अधिक है, या  
 (ii) किसी अनुसूची 2क रासायनिक के एक टन से अधिक है, या  
 (iii) किसी अनुसूची 2ख रासायनिक के दस टन से अधिक है, या

13. ख क्या संयंत्र स्थल किसी अभिक्रियात्मक कदम से अपरिहार्य अनुसूची 1 उक्त उत्पाद का उत्पादन करता है  
 हां..... नहीं.....

13ग. यदि हां, तो अनुसूची 1 उत्पादों की सांद्रता.....

13घ. संयंत्रों का विन्यास और उत्पादन (जो लागू है उसे टिक करें)

संयंत्र/संयंत्र स्थल के प्रकार	उत्पादन प्रक्रिया
बहुप्रयोजन	निरंतर
समर्पित	बैच
दोनों	दोनों

14. संयंत्र स्थल का वार्षिक लगभग आवर्त .....  
 (करोड़ रुपये में )

15. शीर्ष/राष्ट्रीय रासायनिक उद्योग संगम की सदस्यता :

संगम/परिषद का नाम

(i) .....

(ii) .....

#### सत्यापन

मैं, .....पुत्र/पुत्री .....एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं  
 और घोषणा करता हूं कि प्ररूप में दी गई सभी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।  
 मैं और घोषणा करता हूं कि मैं इस घोषणा को करने के लिए सक्षम हूं।

तारीख.....

स्थान .....

मुद्रा सहित हस्ताक्षर  
 स्वामी/अधिभोगी/प्राधिकृत  
 हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

## अनुदेश/मार्गदर्शक सिद्धांत

1. क्रमसंख्या 5: पत्राचार के लिए प्राथमिकता वाला पता उपदर्शित करें
2. क्रमसंख्या 11: यदि सी ए एस आर एम या किसी रासायनिक की प्रविष्टि संख्या के बारे में कोई संदेह हो तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। उत्पादन, प्रसंस्करण, उपभोग, निर्यात या आयात के आयातन को ध्यान में रखे बिना, सभी अनुसूची 2 रासायनिक सूचीबद्ध किए जाने हैं।
3. क्रमसंख्या 12: 'संयंत्र' किसी स्वतःपूर्ण उत्पाद सुविधा या क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है। किसी संयंत्र स्थल/फैक्ट्री के कई संयंत्र हो सकते हैं।

क्रम संख्या 13क: 2क\* रासायनिक अनुसूची 2 की प्रविष्टि (3) में सूचीबद्ध रासायनिक निर्दिष्ट करती है। 2क रासायनिक अनुसूची 2 में प्रविष्टि क(1) और क(2) तथा 2ख रासायनिक अनुसूची 2 के 'ख' के अधीन सूचीबद्ध रासायनिक निर्दिष्ट करती है।

## प्ररूप 3.0

[नियम 9(9) देखें]

## अनुसूची 3 सुविधाओं की घोषणा

कृपया प्रत्येक संयंत्र स्थल के लिए एक प्ररूप पूरा करें  
संयंत्र स्थल कोड :

1. संयंत्र स्थल का नाम (सुविधा) :.....  
.....
2. संयंत्र स्थल की अवस्थिति और पता :  
  
स्थान/गली.....  
गांव/नगर/शहर.....  
तहसील/ताल्लुक/डाकघर.....  
जिला.....  
राज्य.....पिन .....
- अक्षांश और देशांतर .....
- (यदि ज्ञात हो)  
दूरभाष सं.....फैक्स नं..... मोबाइल नं.....  
ई-मेल पता..... वैब साइट .....
3. स्वामी/उद्यम/कंपनी/संगठन का नाम .....
- .....  
मुख्य /रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता .....
- .....  
.....पिन.....

दूरभाष सं.....फैक्स नं..... मोबाइल नं.....  
ई-मेल पता..... वैब साइट .....

4. संपर्क व्यक्तियों के नाम, उनके कार्यालय को भी निवास/मोबाइल दूरभाष सं.  
(i) .....  
(ii) .....
5. पत्राचार पता: संयंत्र स्थल ..... या कंपनी .....
- (जो लागू हो उसे टिक कर दें)
6. संगठन का प्रकार:  
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी .....पब्लिक लिमिटेड कंपनी .....
7. संयंत्र स्थल के क्रियाकलाप (जो लागू हो उसे टिक कर दें)  
उत्पादक ..... निर्माता निर्यातकर्ता.....  
निर्माता आयातकर्ता.....
8. यदि फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है? हां .... नहीं .....
- यदि हां तो निम्नलिखित दें  
फैक्ट्री अनुज्ञप्ति सं. और तारीख .....
- आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड (आई ई सी कोड) .....
9. निर्मित उत्पाद  
(i)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(v)
10. आयात/निर्यात के रासायनिक
- | आयात  | निर्यात |
|-------|---------|
| (i)   | (i)     |
| (ii)  | (ii)    |
| (iii) | (iii)   |
| (iv)  | (iv)    |
| (v)   | (v)     |

11. संयंत्र स्थल पर उत्पादित अनुसूचित रासायनिक (रासायनिकों की सूची)

क्रम सं.	रासायनिक (आईयूपीएसी नाम, सामान्य या व्यवसायिक नाम)	सी ए एस रजिस्ट्री सं.	अनुसूची और अनुसूची में प्रविष्टि सं.	क्रियाकलाप का प्रकार (जो लागू हों, उसे टिक करें)		
				उत्पादन	निर्यात	आयात
(i)						
(ii)						
(iii)						
(iv)						
(v)						

12. (i) संयंत्र स्थल पर अनुसूची 3 संयंत्रों की संख्या -

(ii) संयंत्र स्थल पर अनुसूची 2 संयंत्रों की संख्या -

13. (क) क्या संयंत्र स्थल ने पूर्ववर्ती कलेंडर वर्ष के दौरान या आगामी कलेंडर वर्ष में अनुसूची 3 के 200 टन से उत्पादन किया है या करना प्रत्याशित है,

हां ... नहीं.....

13. ख क्या संयंत्र स्थल किसी अभिक्रियात्मक कदम से अपरिहार्य अनुसूची 1 उक्त उत्पाद का उत्पादन करता है  
हां..... नहीं.....

13ग. यदि हां, तो अनुसूची 1 उत्पादों की सांद्रता.....

13घ. संयंत्रों का विन्यास और उत्पादन (जो लागू है उसे टिक करें)

संयंत्र/संयंत्र स्थल के प्रकार		उत्पादन प्रक्रिया	
बहुप्रयोजन		निरंतर	
समर्पित		बैच	
दोनों		दोनों	

14. संयंत्र स्थल का वार्षिक लगभग आवर्त .....  
(करोड़ रुपये में)

15. शीर्ष/राष्ट्रीय रासायनिक उद्योग संगम की सदस्यता :

संगम/परिषद का नाम

(i) .....

(ii) .....

सत्यापन

मैं, .....पुत्र/पुत्री .....एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दी गई सभी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं और घोषणा करता हूँ कि मैं इस घोषणा को करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख.....

स्थान .....

मुद्रा सहित हस्ताक्षर  
स्वामी/अधिभोगी/प्राधिकृत  
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

## अनुदेश/मार्गदर्शक सिद्धांत

1. क्रम संख्या 5 पर अपने पत्राचार के लिए प्राथमिकता वाला पता उपदर्शित करें
2. क्रम संख्या 11 पर आप सी ए एस आर एम या अनुसूची प्रविष्टि संख्या खाली छोड़ सकते हैं, यदि कोई संदेह हो, रासायनिक नाम आई यू पी ए सी नाम या सामान्य व्यापार नाम हो सकता है। सभी अनुसूची 3 रासायनिक सूचीबद्ध किए जाने हैं, चाहे उनके उत्पादन/निर्यात/आयात 30 टन से कम हो।
3. क्रमसंख्या 12 पर, 'संयंत्र' से कोई स्वतः पूर्ण उत्पाद सुविधा या क्षेत्र अभिप्रेत है। किसी संयंत्र स्थल (फैक्ट्री) के कई संयंत्र हो सकते हैं।

## प्ररूप 4.0

[नियम 9(9) देखें]

“अन्य रासायनिक उत्पादन सुविधाओं” की घोषणा  
(डीओसी/पीएसएफ सुविधाएं)

कृपया प्रत्येक संयंत्र स्थल के लिए एक प्ररूप पूरा करें  
संयंत्र स्थल कोड :

1. संयंत्र स्थल का नाम (सुविधा) :.....
2. संयंत्र स्थल की अवस्थिति और पता :

स्थान/गली.....

गांव/नगर/शहर.....

- तहसील/ताल्लुक/डाकघर.....  
 जिला.....  
 राज्य.....पिन .....
- अक्षांश और देशांतर .....
- (यदि ज्ञात हो)
- दूरभाष सं..... फ़ैक्स नं..... मोबाइल नं.....  
 ई-मेल पता..... वैब साइट .....
3. स्वामी/उद्यम/कंपनी/संगठन का नाम .....
- .....  
 पूरा पता .....
- .....पिन.....
- दूरभाष सं..... फ़ैक्स नं..... मोबाइल नं.....  
 ई-मेल पता..... वैब साइट .....
4. दूरभाष सं. सहित संपर्क व्यक्तियों के नाम
- (i) .....
- (ii) .....
5. पत्राचार पता: संयंत्र स्थल ..... या कंपनी .....
- (जो लागू हो उसे टिक कर दें)
6. संगठन का प्रकार:  
 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी .....पब्लिक लिमिटेड कंपनी .....
- केंद्रीय सरकार उपक्रम ..... राज्य सरकार उपक्रम ..... अन्य
7. संयंत्र स्थल के क्रियाकलाप (जो लागू हो उसे टिक कर दें)  
 उत्पादक .....
8. यदि फ़ैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है? हां .... नहीं .....
- यदि हां तो निम्नलिखित दें  
 फ़ैक्ट्री अनुज्ञप्ति सं. और तारीख .....
- आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड (आई ई सी कोड) .....
9. निर्मित उत्पाद
- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

10. क्या संयंत्र स्थल पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अनुसूची 2 या अनुसूची 3 रासायनिक आयात/निर्यात (सीधे या व्यापारी के माध्यम से) किए गए ?  
हां.....  
नहीं.....

यदि हां तो रासायनिक का नाम, आई यू पी ए सी, सी ए एस संख्या, आयात/निर्यात की एम टी में मात्रा, देश का नाम, आयात की तारीख और आयात के ब्यौरे। यदि यह सीधा/निर्यात है, तो प्ररूप सं. 5.8 भरा जाना है।

11. संयुक्त स्थल पर उत्पादित डी ओ सी और पी एस एफ रासायनिक (उन रासायनिकों को, जहां वार्षिक उत्पादन दो सौ मीट्रिक टन से अधिक है और उन पी एस एफ रासायनिकों को, जहां वार्षिक उत्पादन तीस मीट्रिक टन से अधिक है, सूचीबद्ध करें) :-

डी ओ सी रासायनिक (उत्पादन के अवरोधी क्रम में पांच से अनधिक)

पीएसएफ रासायनिक (उत्पादन के अवरोधी क्रम में पांच से अनधिक)

(i)

(i)

(ii)

(ii)

12. शेष पीएसएफ डाक्स/ और उत्पादित गैर पीएसएफ डाक्स सूचीबद्ध करें, कोमा से पृथक करके :

13. क संयंत्रों की लगभग संख्या और गैर-पीएसएफ डीओसी/पीएसएफ डीओसी रासायनिकों का सकल उत्पादन  
.....संयंत्र स्थल पर गैर-.....संयंत्र स्थल पर  
पीएसएफ डी ओ सी संयंत्रों की संख्या पीएसएफ डी ओ सी संयंत्रों की संख्या

गैर-पीएसएफ डी ओ सी रासायनिकों का लगभग सकल वार्षिक उत्पादन (टनों में).....

पीएसएफ डी ओ सी रासायनिकों का लगभग सकल वार्षिक उत्पादन (टनों में).....

13. ख क्या संयंत्र स्थल किसी अभिक्रियात्मक कदम से अपरिहार्य अनुसूची 1 उक्त उत्पाद का उत्पादन करता है  
हां..... नहीं.....

13ग. यदि हां, तो अनुसूची 1 उत्पादों की सांद्रता.....

13घ. संयंत्रों का विन्यास और उत्पादन (जो लागू है उसे टिक करें)

संयंत्र/संयंत्र स्थल के प्रकार	उत्पादन प्रक्रिया
बहुप्रयोजन	निरंतर
समर्पित	बैच
दोनों	दोनों



14. संयंत्र स्थल का वार्षिक लगभग आवर्त .....  
(करोड़ रुपये में)
15. शीर्ष/राष्ट्रीय रासायनिक उद्योग संगम की सदस्यता :  
संगम/परिषद का नाम  
(i) .....  
(ii) .....

सत्यापन

मैं, .....पुत्र/पुत्री .....एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दी गई सभी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं और घोषणा करता हूँ कि मैं इस घोषणा को करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख.....

स्थान .....

मुद्रा सहित हस्ताक्षर  
स्वामी/अधिभोगी/प्राधिकृत  
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

प्ररूप 5.0

[नियम 9(9) देखें]

अनुसूची 2 और अनुसूची 3 रासायनिकों के  
निर्यातकर्ता और आयातकर्ता की घोषणा  
(डीओसी/पीएसएफ सुविधाएं)

संयंत्र स्थल कोड :

कलेंडर वर्ष.....

1	उद्यम/कंपनी /संगठन का नाम	
2	मुख्य/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
	दूरभाष नं.	फैक्स नं.

	मोबाइल नं.		ई-मेल आईडी	
3.	उद्यमों के क्रियाकलाप (जो लागू हो उसे टिक करें)			
	निर्यातकर्ता ..... आयातकर्ता.....			
	निर्माता निर्यातकर्ता ..... निर्माता आयातकर्ता.....			
4	(i) आई ई सी संख्या और तारीख			
	(ii) आर सी एम सी संख्या और तारीख (सीएपीईएक्सआईएलई)			
	(iii) आर सी एम सी संख्या और तारीख (सीएचईएमईएक्सआईएल)			
5	वार्षिक लगभग आवृत (लाख रुपयों में)			
6	(i) अनुसूचित रासायनिक का नाम			
	(ii) अनुसूचित रासायनिक का आई टीसी (एचएस) कोड			
	(iii) सीडब्लूसी की अनुसूची में अनुसूची और प्रविष्टि संख्या			
7	रासायनिक का सकल वार्षिक निर्यात (एमटी) में			
8	रासायनिक का सकल वार्षिक आयात (एमटी) में			

## 9. निर्यात के ब्यौरे

क्रम सं.	जिस देश को	उत्पाद का उपयोग करने वाली कंपनी	प्रविष्टि संख्या और तारीख का निर्यात बिल	मात्रा (एम टी)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1					
2					

## 10. आयात के ब्यौरे

क्रम सं.	जिस देश से	जिस कंपनी से आयात किया गया	लैंडिंग संख्या और तारीख का आयात बिल	मात्रा (एम टी)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1					
2					


सत्यापन

मैं, .....पुत्र/पुत्री .....एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दी गई सभी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं और घोषणा करता हूँ कि मैं इस घोषणा को करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख.....

स्थान .....

मुद्रा सहित हस्ताक्षर  
स्वामी/अधिभोगी/प्राधिकृत  
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

## अनुदेश

- i क्रम संख्या 6(i) पर रासायनिक का व्यापार नाम या आई यू पी ए सी नाम दिया जाए।
- ii क्रम संख्या 6 (ii) पर, अनुसूची (चाहे 2 या 3) उपदर्शित की जाए और उसकी प्रविष्टि संख्या अनुसूचित सूची के अनुसार दी जाए।
- iii क्रम संख्या 7 और 8 पर निर्यात और आयात का योग क्रमशः क्रम संख्या 9 और 10 के योग के साथ मिलान होना चाहिए।
- iv क्रम संख्या 9 और 10 पर सभी निर्यात और आयात संव्यवहार कलेंडर वर्ष के लिए सूचीबद्ध किए जाने हैं।

[फा. सं. सी-1. 40018/24/2010 –रासा.1]  
समीर कुमार बिसवास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**  
**(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 2016

**G.S.R. 834(E).**— In exercise of the powers conferred by section 56 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000) and in supersession of the Chemical Weapons Convention (Criteria for Appointment as Enforcement Officer) Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Chemical Weapons Convention Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.-**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (i) "Act" means the Chemical Weapons Convention Act of 2000 (34 of 2000);
- (ii) "Authority" means the National Authority for Chemical Weapons Convention established under sub-section (1) of section 6 of the Act;
- (iii) "Chairperson" means the chairperson of the Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
- (iv) "concerned agency" means and includes a Ministry, Department of Central Government or State Government or any autonomous organisation, Board, Public Sector Undertaking, university, research organisation fully or partly funded by the Central Government or the State Government or any association whether receiving grants from the Central Government or the State Government which may have received or is entitled to receive any information relating to the Convention or the Act and their implementation thereof;
- (v) "concerned foreign agency" includes a university or a research organisation located outside the territory of India which is directly or indirectly involved in any matter connected with the Convention but does not include the Organisation;
- (vi) "declarable facility" means either a scheduled chemical facility or a DOC facility of sufficient quantities so as to make it liable to make declaration as specified by the Convention;
- (vii) "Director" means the Director of the Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
- (viii) "DOC facility" means a facility which is engaged in the production of any Discrete Organic Chemical including Discrete Organic Chemical containing elements of phosphorous, sulphur or fluorine;
- (ix) "form" means form annexed to these rules;
- (x) "Scheduled Chemical Facility" means a facility which is engaged in the production, processing, acquisition, consumption, transfer, import, export or use of any Toxic Chemical or Precursor listed in any of the Schedules 1 to 3 in the Annex on Chemicals to the Convention;
- (xi) "State Government" in relation to a Union Territory, means the Administrator thereof;
- (xii) "Steering Committee" means the Committee constituted by the Central Government under section 11 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Chairperson of Authority.-**

- 1) The Central Government shall appoint a Chairperson from amongst persons who have special knowledge of, and professional experience in chemistry, science and technology, industry, environment, public administration, international relations, law or management:

Provided that a person who is in the service of Government shall not be appointed as Chairperson unless such person has held the post of an Additional Secretary to the Government of India or any equivalent post in the Central Government or the State Government.

- 2) The Chairperson of the Authority shall hold the office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment:

Provided that no person shall hold office as Chairperson after he has attained the age of sixty years.

- 3) The Chairperson shall have the rank equivalent to that of a Secretary to the Government of India and shall be entitled to the same pay, allowances and perquisites.

#### 4. Removal or Resignation of Chairperson.-

- (1) The Chairperson may resign from his office by giving at least one month's notice in writing to the Central Government.
- (2) The Central Government may remove from office, the Chairperson if he
- has been adjudged an insolvent; or
  - has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
  - has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson; or
  - has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairperson; or
  - has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.
- (3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), the Chairperson shall not be removed from his office on the grounds specified in clause (d) or clause (e) of that sub-section unless the Central Government has caused an enquiry to be done and on the basis of such enquiry, come to the conclusion that the Chairperson ought on such ground or grounds, to be removed.
- (4) The Central Government may suspend from office, the Chairperson in respect of whom an enquiry has been ordered under sub-rule (3), until the Central Government has passed an order on receipt of the enquiry report.

#### 5. Other conditions of service of Chairperson.-

The matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

#### 6. Directors of Authority.-

- (1) The Central Government shall appoint a Director from amongst persons who are in the service of the Central Government or of the State Governments:

Provided that a person shall not be appointed as Director unless such person holds the post of a Joint Secretary to the Government of India or has held the post of a Director to the Government of India for not less than three years or any equivalent post in the Central Government or the State Government.

- (2) The number of Directors of the Authority shall be such as may be determined by the Central Government from time to time.
- (3) The post of Director of the Authority shall be equivalent to a Joint Secretary to the Government of India.
- (4) The term of office of a Director shall be such as may be determined by the Central Government:

Provided that no person shall hold office of Director for more than five years.

- (5) The Director shall assist the Chairperson in the exercise of the functions of the Authority under the Act.
- (6) Matters relating to terms and conditions of service of the Directors, with respect to which no expressed provision has been made in these rules, shall be referred by the authority to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

**7. Other officers and employees of Authority.-**

- (1) The Central Government shall appoint as many technical officers and supporting staff, as the Central Government may determine from time to time, in consultation with the Authority.
- (2) The administrative and other supporting staff of the Authority shall be drawn from the respective cadres of Central Government as per the number of posts sanctioned to the Authority.

**8. Appointment of enforcement officer.-** The Central Government shall appoint such gazetted officers of the Central Government or officers holding gazetted rank in the Authority, as the enforcement officer under sub section(1) of section 9 of the Act:

Provided such officer must have minimum five years' of service in the Government and must hold a graduate degree in any discipline.

**9. Other functions of the Authority.-****I. Submission of declarations.-**

- (1) The Authority, for the purposes of submission of various declarations to the Organisation, as obligated under the Convention, shall have the powers to call for any information pertaining to the Act from any person or agency which, in its opinion, is likely to have the information.
- (2) The Authority shall submit 'Annual Declarations of Past Activities (ADPA)' to the Organisation ninety days after the end of each year.
- (3) All declarable facilities shall submit their individual declarations so as to reach the Authority on or before the 15<sup>th</sup> day of February of the coming year or any other date as may be fixed by the Authority from time to time.
- (4) The Authority shall submit the 'Annual Reporting of Information on National Programmes for Protection Against Chemical Weapons for the Previous Calendar Year' to the Organisation not later than one hundred and twenty days after the end of each year.
- (5) All concerned agencies shall submit the information so as to reach the Authority on or before the last day of February of the year or any other date as may be fixed by the Authority from time to time.
- (6) The Authority shall submit the 'Annual Declarations of Anticipated Activities (ADAA)' to the Organisation ninety days before the beginning of the following calendar year in case of scheduled chemical facilities belonging to Schedule 1 category and not later than sixty days before the beginning of the following calendar year in case of scheduled chemical facilities belonging to Schedule 2 and Schedule 3 categories.
- (7) All declarable facilities belonging to Schedule 1 category and all declarable facilities belonging to Schedules 2 and 3 categories shall submit their individual declarations so as to reach the Authority on or before the 15<sup>th</sup> day of September and the 10<sup>th</sup> day of October respectively, or any other dates as may be fixed by the Authority from time to time.
- (8) The formats for submission of declarations to the Organisation under this rule by the Authority, shall be as notified by the Organisation from time to time.
- (9) Various types of declarable facilities shall submit additional information to the Authority in the following forms, namely:
  - (i) Form 2.0 - For Schedule 2 facility
  - (ii) Form 3.0 - For Schedule 3 facility
  - (iii) Form 4.0 - For Other Chemical Production facility
  - (iv) Form 5.0 - For exporters/importers of Schedule 2 and Schedule 3.

- (10) Any change in the form specified under sub-rule (9) shall be notified by the Authority in its official website.
- (11) The Authority shall endeavour to receive, process and transmit declarations electronically and take necessary steps to achieve complete digitisation of all processes relating to declarations in a phased manner.
- (12) The concerned agency shall submit to the Authority not later than twenty days, whenever there is any change in the chemicals for use as riot control agents in India.

## II. Inspections.-

- (1) It shall be the general duty of the Authority to conduct inspections of chemical facilities in the country in accordance with the provisions of the Convention and with the mandate given to the inspection team by the Organisation.
- (2) For the purpose of carrying out inspections under sub rule (1), the Authority shall take necessary steps including.-
  - (a) immediately acknowledging receipt of the intimation of inspection from the Organisation;
  - (b) intimating the chemical facility to be inspected of the date, duration, purpose and scope of the inspection as well as the rights and responsibilities of the facility thereof;
  - (c) informing the district administration and the concerned State Government for local support and facilitation;
  - (d) deputing escort officers for each inspection;
  - (e) designating the team leader as representative of the Inspected State Party; and
  - (f) any other action, which in its opinion would be required to conduct the inspection in accordance with the Convention.
- (3) The escort officers deputed by the Authority under clause (d) of sub-rule (2) may perform all or any of the following functions, namely:-
  - (a) receiving the inspection team at the point of entry and accompanying the inspection team throughout its stay in the territory of India including making all logistic and stay arrangements till their departure through the point of exit;
  - (b) liaising with local officials for ensuring safety and securing necessary assistance for proceeding with the inspection activities;
  - (c) assisting the inspection team at all stages including pre-inspection briefing, physical inspection, site tour, review of records and writing of the preliminary finding report.
- (4) The team leader designated under clause (e) of sub- rule (2) shall perform all or any of the following functions, namely:-
  - (a) coordinating the interaction between the inspected facility and the inspection team;
  - (b) advising the inspected facility as to their rights and responsibilities during the inspection;
  - (c) assist the inspected facility to furnish the documents or clarifications required by the inspection team;
  - (d) signing of documents as the representative of the inspected State Party; and
  - (e) ensuring that the inspection does not become unduly intrusive to the inspected facility.
- (5) The inspection team shall be allowed to enter and leave the territory of India only through New Delhi which shall be designated as the sole point of entry and exit. Provided that the Authority shall change or add any point of entry or exit only with the prior permission of the Central Government.

- (6) The Authority may carry out inspection of any building or place, which in its opinion, is carrying out any activity contrary to the objects and purposes of the Act.
- (7) The Authority may depute any official of the Authority or of the Central Government to function as In-Country Escort for the In-Country Period during any inspection.
- (8) All concerned agencies shall take necessary steps to ensure that members of the inspection team receive all the privileges and immunities which they are entitled to, under the Convention. Provided that the Authority shall bring to the notice of the Central Government whenever breaches on these immunities and privileges are not acted upon adequately by any concerned agency.

### **III. Training.-**

- (1) The Authority shall function as the nodal agency for facilitating the participation of its officials and other Indian nationals in the training courses conducted or coordinated with the Organisation and also other institutions working in the area related to the Convention.
- (2) The Authority may publish training calendar of the Organisation, invite applications from eligible persons and select the candidates for the training based on suitability of the training course and the merit of the candidate.
- (3) The Authority shall maintain a database of the persons who have received trainings and maintain the reports for future use.

### **IV. Education and outreach.-**

- (1) It shall be the duty of the Authority to take all necessary steps to create awareness of the Convention and the Act amongst all concerned agencies, other stakeholders and the public at large.
- (2) The Authority may organise or conduct meetings, workshops, seminars, conferences at regional, national or international levels, for the effective implementation of the Convention and the Act.
- (3) The Authority may approve and fund internships or research projects on any matter connected with the Convention or the Act.

### **V. Miscellaneous functions and powers.-**

- (1) It shall be the duty of the Authority to provide all information and assistance required by the Steering Committee to discharge its functions under section 11 of the Act.
- (2) The Authority shall prepare and submit annual report to the Steering Committee which shall contain the main activities and events of the previous financial year.
- (3) It shall be the endeavour of the Authority to have the meeting of the Steering Committee convened at least twice every year.
- (4) When called upon to do so, the Authority shall give its inputs and opinion to the Central Government for it to take decision on any matter relating to implementation of the Convention in India or anywhere in the world.
- (5) The Authority shall coordinate with all concerned agencies for better compliance to the provisions of the Act by taking appropriate steps in improving quality of annual declarations, carrying out internal inspections of chemical facilities in India, simplifying and enhancing efficiency of Organisation inspections, monitoring export and import of scheduled chemicals, enhancing use of electronic systems for collection and processing of information relating to the Act, simplification and standardisation of procedure.



- (6) The Authority shall communicate to the Organisation as soon as possible, of objections, if any, of the Central Government on granting to any person access to India for any purposes related to the Convention.
- (7) The Authority may recommend to any concerned agency of relaxation of procedure or waiver of documents, if it is of opinion that such action is necessary or likely to facilitate better implementation of the Convention or the Act.
- (8) The Central Government may, by general or special order, from time to time, assign such other functions to the Authority for the purposes of carrying out the provisions of the Act.
- (9) The Authority shall decide its own procedure for conducting its business under the Act.
- (10) The Authority may invite any outside person as expert to take part in any of its meeting in addition to representative from the concerned agencies.

ANNEXURE

FORM 2.0  
[See rule 9 (9)]  
DECLARATION OF SCHEDULE 2 FACILITIES

Page 1 of 5

Please complete one form for each plant site.

Plant Site Code:

1. Name of plant site (Facility): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Location and Address of plant site:

Place/Street \_\_\_\_\_  
Village/Town/City \_\_\_\_\_  
Tehsil/Taluk/P.O. \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_  
State \_\_\_\_\_ Pin \_\_\_\_\_  
Latitude & longitude \_\_\_\_\_  
(if known)

Tele Nos. \_\_\_\_\_ FAX Nos \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_  
E-mail address \_\_\_\_\_ Web site \_\_\_\_\_

3. Name of Owner/Enterprise/Company/Organisation: \_\_\_\_\_

Address of Head/Regd office: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PIN \_\_\_\_\_  
Tele Nos. \_\_\_\_\_ FAX Nos \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_

E-mail address \_\_\_\_\_ Web site \_\_\_\_\_

4. Names of contact persons with their office/residential/mobile telephone numbers:

- (i) \_\_\_\_\_  
(ii) \_\_\_\_\_

5. Address for communications: Plant Site  or Company   
(tick ✓ whichever is applicable)

6. Type of Organisation:

Private Ltd. Company  Public Ltd. Company

Page 2 of 5

- Central Govt. Undertaking  State Govt. Undertaking  Others   
 7. Activities of the plant site (tick ✓ those that are applicable)

- Producer  Processor  Consumer   
 Manufacturer Exporter  Manufacture importer   
 8. Whether register under factory Act 1948? Yes  No

If Yes, provide

Factory License No. And date \_\_\_\_\_

Importer/Exporter code (IEC code) \_\_\_\_\_

9. Product manufactured

- (i)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(v)

Page 3 of 5

10. Chemical of Export/import.

Export

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Import

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

11. Scheduled chemicals produced, processed or consumed by the plant site (list all chemicals).

S.No.	Chemical (IUPAC name, Common or trade name)	CAS Registry number	Schedule and Entry No. In Schedule	Type of activity (tick ✓ what is applicable)				
				Production	Processing	Consumption	Export	Import
(i)								
(ii)								
(iii)								
(iv)								
(v)								

12. (i) No. of schedule 3 plants at plant site \_\_\_\_\_  
 (ii) No. of schedule 2 plants at plant site \_\_\_\_\_

- 13a. Did the plant site produce, process or Consume during any of the three previous years or is anticipated to produce, process or consume in the succeeding year a quantity of a schedule 2 chemical which is: Yes  No

- (i) greater than 10 kg. of a schedule 2A \* chemical, or  
 (ii) greater than 1 tonne of any schedule 2 A chemical, or  
 (iii) greater than 10 tonnes of any schedule 2B chemical.

- 13b. Does at any reacting step the plant site produces Unavoidable Schedule 1 by products Yes  No

- 13c. If yes

Concentration of Schedule 1 by products \_\_\_\_\_

## 13d. Configuration of plants and production (tick ✓ which is applicable)

Types of plants/plant site		Production process	
Multipurpose		Continuous	
Dedicated		Batch	
Both		Both	

14. Annual approximate Turnover of the plant site \_\_\_\_\_  
(Rs. In Crores)

## 15. Membership of Apex/National Chemical industry Association:

Name of Association/Council

(i) \_\_\_\_\_

(ii) \_\_\_\_\_

Verification

I, \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly affirm and declare that all particulars furnished in the form are true and complete to the best of my knowledge and belief. I further declare that I am competent to furnish this declaration.

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Signature  
with seal.  
Name and designation  
Owner/Occupier/Authorised signatory

## Instructions/Guidelines

1. SI.No.5: Indicate the preferred address for communication.
2. SI.No.11: If there is any doubt about CASRN or Entry Number of any chemical, you may leave it blank. All Schedule 2 chemicals are to be listed irrespective of volume of production, processing, consumption, export or imports.
3. SI.No. 12: 'Plant' refers to a self contained production facility or area. A plant site/factory may have several plants.

SI.No.13a: 2A\* chemical refers to chemical listed in entry A (3) of Schedule 2. 2A chemicals to entries A(1) and A(2) in schedule 2. 2B chemical refers to chemicals listed under 'B' of schedule2.

Form 3.0  
[(See rules 9(9)]

DECLARATION OF SCHEDULE 3 FACILITIES

Please complete one form for each plant site

Plant site code

1. Name of plant site (Facility) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Location and Address of plant site:

Place/Street \_\_\_\_\_

Village/Town/City \_\_\_\_\_

Tehsil/Taluk/P.O. \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_ PIN \_\_\_\_\_

Latitude &amp; longitude \_\_\_\_\_

(if known)

Tele Nos. \_\_\_\_\_ FAX Nos \_\_\_\_\_

Mobile No \_\_\_\_\_

E-Mail address \_\_\_\_\_ Website \_\_\_\_\_

3. Name of Owner/Enterprise/Company/Organisation \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Address of Head/Regd Office: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PIN \_\_\_\_\_

Tele Nos \_\_\_\_\_ FAX Nos \_\_\_\_\_

Mobile No \_\_\_\_\_

E-Mail address \_\_\_\_\_ Web site \_\_\_\_\_

4. Names of contact persons with their office/residential/mobile telephone numbers

(i) \_\_\_\_\_

(ii) \_\_\_\_\_

5. Address for communications: Plant Site  or Company   
(tick  whichever is applicable)

6. Type of Organisation:

Private Ltd. Company  Public Ltd. Company

Central Govt. Undertaking  State Govt. Undertaking  Others

7. Activities of the plant site (tick  those that are applicable)

Producer  Manufacturer Exporter

Manufacturer importer

8. Whether registered under Factory Act 1948? Yes  No

If Yes, provide

Factory Licence No. and date \_\_\_\_\_

Importer/Exporter code (IEC Code) \_\_\_\_\_

9. Products manufactured

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

10. Chemicals of Export/Import

Export

Import

(i)

(i)

(ii)

(ii)

(iii)

(iii)

(iv)

(iv)

(iv)

(v)

11. Scheduled chemicals produced at the plant site (list all chemicals)

S.No.	Chemical (IUPAC name, common or trade name)	CAS Registry number	Schedule and Entry No. in Schedule	Type of activity (tick <input checked="" type="checkbox"/> what is applicable)		
				Production	Export	Import
(i)						
(ii)						
(iii)						
(iv)						
(v)						

12. (i) No. of schedule 3 plants at plant site \_\_\_\_\_

(ii) No. of schedule 2 plants at plant site \_\_\_\_\_

13a. Did the plant site produce during previous calendar Yes  No

year or is anticipated to produce in the next calendar year more than 200 tonnes of a schedule 3 chemical

13b. Does at any reaction step the plant site produces Unavoidable Schedule 1 by products Yes  No

13c. If yes concentration of Schedule 1 by products \_\_\_\_\_

13d. Configuration of plants and production process (tick ✓ which is applicable)

Types of plants/plant sites		Production process	
Multipurpose		Continuous	
Dedicated		Batch	
Both		Both	

14. Annual approximate Turnover of the plant site \_\_\_\_\_ (Rs. in Crores)

15. Membership of Apex/National Chemical Industry Association:

Name of Association/Council

(i) \_\_\_\_\_

(ii) \_\_\_\_\_

#### Verification

I, \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly affirm and declare that all particulars furnished in the form are true and complete to the best of my knowledge and belief. I further declare that I am competent to furnish this declaration.

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Signature  
with seal.  
Name and designation  
Owner/Occupier/Authorised signatory

#### Instructions/Guidelines

1. Indicate your preferred address of communication at Sl.No. 5.
2. At Sl.No. 11, you may leave the CAS RN and Schedule Entry Number blank, if there is doubt. The chemicals name may be IUPAC name or common trade name. All Schedule 3 chemicals are to be listed even if their production/exports/imports are less than 30 tonnes.
3. At Sl.No. 12, 'plant' means a self contained production facility or area. A plant site (factory) may have several plants.

Form 4.0  
[See rule 9(9)]

### DECLARATION OF "OTHER CHEMICAL PRODUCTION FACILITIES" (DOC/PSF FACILITIES)

Please complete one form for each plant site

Plant Site Code:

1. Name of plant site (Facility):

- 2, Location and Address of Plant site:  
Place/Street

Village/Town/City \_\_\_\_\_  
Tehsil/Taluk/P.O. \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_  
State \_\_\_\_\_ PIN \_\_\_\_\_

Latitude/longitude (if known) \_\_\_\_\_  
Tele Nos. \_\_\_\_\_ FAX Nos \_\_\_\_\_  
Mobile No. \_\_\_\_\_  
E-mail address \_\_\_\_\_ Website \_\_\_\_\_

- 3,. Name of Owner/Enterprise/Company/Organisation

Complete Address \_\_\_\_\_  
PIN \_\_\_\_\_  
Tele Nos \_\_\_\_\_ FAX Nos \_\_\_\_\_  
Mobile No. \_\_\_\_\_  
E-Mail address \_\_\_\_\_ Website \_\_\_\_\_

4. Names of contact persons with telephone numbers:

(i) \_\_\_\_\_  
(ii) \_\_\_\_\_

5. Address for communications: Plant Site  or Company   
(tick ✓) whichever is applicable

6. Type of Organisation

a. Private Ltd. Company  b. Public Ltd. Company   
c. Central Govt. Undertaking  d. State Govt undertaking  e. Others

7. Activities of the plant site (tick ✓ ) those are applicable

Producer

8. Whether registered under Factory Act 1948? Yes  No

If yes, provide  
Factory Licence No. and date

Importer/Exporter code (IEC Code) \_\_\_\_\_

9. Products manufactured

(i)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(v)

10. Did the plant site import/export (directly or through trader) any schedule 2 or any schedule 3 chemical during past three years? Yes  No

If yes, name of chemical, IUPAC name, CAS Number, quantity of import/export in MT, name of country, date of import and details of import. Form No. 5.1 is to be filed if it is a direct import/export.

11. DOC and PSF chemicals produced at the plant site (list those chemicals where annual production is more than 200 Metric Tonnes and those PSF chemicals where annual production is more than 30 Metric Tonnes):-

DOC chemicals (not more than five in descending order of production)

(i)

(ii)

PSF chemicals (not more than five in descending order of production)

(i)

(ii)

12. List Remaining PSF Docs/ & Non PSF Docs Produced, separated by commas:

13a. Approximate Number of plants and aggregate production of Non PSF DOC/PSF DOC chemicals.

No. of Non PSF DOC plants  
at plant site\_\_\_\_\_

No. of PSF DOC plants at  
plant site\_\_\_\_\_

Approximate aggregate  
annual production of Non PSF  
DOC chemicals (in tonnes)\_\_\_\_\_

Approximate aggregate  
annual production of  
PSF DOC chemicals (in tonnes)\_\_\_\_\_

13b. Does at any reaction step the plant site produces

Unavoidable Schedule 1 products

Yes  No

13c. If yes,

Concentration of Schedule 1 by products

\_\_\_\_\_

13d. Configuration of plants and production process (tick ✓ which is applicable)

Types of plants/plant site		Production process	
Multipurpose		Continuous	
Dedicated		Batch	
Both		Both	

14. Annual approximate turnover of the plant site \_\_\_\_\_  
(Rs. in Crores)

15. Membership of Apex/National Chemical Industry Association:

Name of Association/Council

(i) \_\_\_\_\_  
(ii) \_\_\_\_\_

#### Verification

I, \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly affirm and declare that all particulars furnished in the form are true and complete to the best of my knowledge and belief. I further declare that I am competent to furnish this declaration.

Date : \_\_\_\_\_

Place : \_\_\_\_\_

Signature  
with seal.  
Name and designation  
Owner/Occupier/Authorised signatory

Form 5.0  
[See rule 9(9)]

**DECLARATION OF EXPORTERS AND IMPORTERS OF SCHEDULE 2 AND SCHEDULE 3 CHEMICALS**

Plant site code:

Calendar Year.....

1	Name of the enterprise/company/organisation		
2	Address of Head/registered office		
	Tele.No.		FAX No.
	Mobile No.		E-mail ID
3	Activities of the enterprises (tick ✓ ) those that are applicable		
	Exporter	<input type="checkbox"/>	Importer <input type="checkbox"/>
	Manufacturer Exporter	<input type="checkbox"/>	Manufacturer Importer <input type="checkbox"/>
4.	(i) IEC No. and date		
	(ii) RCMC No. and date (of CAPEXIL)		
	(iii) RCMC No. and date (of CHEMEXIL)		
5.	Annual approximate turn over (Rs. in lakhs)		
6.	(i) Name of schedule chemical		
	(ii) ITC(HS) Code of Schedule Chemical		
	(iii) Schedule and Entry Number in the Schedule of CWC		
7.	Aggregate annual Export of chemical in (MT)		
8.	Aggregate annual Import of chemical (in MT)		

9. Details of Exports:

S.No	Country to	End User Company	Export Bill of entry No. and date	Quantity (MT)	Value (in Rs.lakhs)
1					
2					
Total					

10. Details of Imports

S.No	Country from	Company imported from	Import Bill of landing. No. and date	Quantity (MT)	Value (in Rs.lakhs)
1					
2					
Total					

Verification:

I, \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly affirm that all particulars in the form are true and complete to the best of my knowledge and belief. I further declare that I am competent to furnish this declaration.



Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Signature

With seal  
Name and designation  
Owner/Occupier/Authorised  
Signatory

## Instructions:

- i. At S.No. 6(i), the trade name or IUPAC name of chemical be given
- ii. At S.No. 6(ii), Schedule (whether 2 or 3) be indicated and its entry number given as per schedule list
- iii. The total of export and import at S.No. 7 and 8 should tally with the total of S.No. 9 and 10 respectively.
- iv. At S.No. 9 and 10, all export and import transactions are to be listed for the calendar year.

[F. No. C-I. 40018/24/2010-Ch.I]  
SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.